

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
माधव सरस्वती विद्या मंदिर,
सुभानपुर (बागपत)

पत्रांक: शि०स०/ ७०७-०२ / २०१७-१८

दिनांक: २०-०४-२०१७

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के
अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके वर्ष 2016-17 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती
एत्राचार तथा डाओप्रभात कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी, खेकड़ा के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा
निदेशक(वेसिक) प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के
उग्नि दिये गये निर्देश से, मैं माधव सरस्वती विद्या मंदिर सुभानपुर (बागपत) को तारीख 20/04/2017
से 19/04/2020 तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी
भाष्यम) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात
मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) और
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन
करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25
प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा- विहीन समूह के बालकों को प्रवेश
प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध
कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के
उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक
पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या
उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं
करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,
किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा परी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा
नहीं की जाएगी।

92

(4) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अनिधनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार पत्रावली में अंकित हैं:- अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक शि०स०/१३३५-२०१६-१७ दिनांक २०/०३/२०१७ द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ कार्यालय में प्रेषित पत्रावली में जॉच अधिकारी की आख्यानुसार प्रसुविधाओं का विवरण अंकित है।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल। ६२१२. ८७ M

कुल निर्मित क्षेत्र। १५४९.८८ ८७ M

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल। २४०० ८७ M

कक्षाओं की संख्या। १९

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष। ३४८८८ फू।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय। ॥ ॥

पेयजल सुविधा। ॥ ॥

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई। ॥ ॥

बाधा रहित पहुंच। किलोग्राम १५ वार्षिक प्रत्येक वर्ष।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता। ६०

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए

४२ व्य

जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 2016-17 UPS अग्रेंजी 45 हैं तथा यू-डाईस कोड 09080600905 कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
18. प्रति छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध कराया जाये।
19. मान्यता पत्रावली में सलग्न समस्त पत्राजात के सत्य होने का दस रूपये का नोटरी शपथ पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

भवदीय
Yograj Singh
(योगराज सिंह)
30/05/17

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

Yograj Singh
बागपत।

पृ०स०: शि०स० /

/ 2017-18

तददिनॉक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)प्रथम मण्डल, मेरठ।

02. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय के भवन तथा पत्रावली में सलग्न पत्राजातो/अभिलेखो का मिलान मूल प्रति से कर विद्यालय का नियमानुसार संचालन कराये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।